

उत्तराखण्ड राजसन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
संख्या-1337/XXXX(13)G/2011  
देहरादून: दिनांक 28 अक्टूबर, 2011

अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-20 वर्ष, 2011) की धारा- 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जन सामान्य को नियत समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निम्न सारणी में उल्लिखित विभाग एवं उनके द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने की समय सीमा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम एवं द्वारा नियत अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

**1-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति**

क्र. सं.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की नियत समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	दो०पी०एल० राशन कार्ड का नवीनीकरण करना	1-जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में सम्बन्धित पूर्ति नियोजक	10 दिन	1- जिलापूर्ति अधिकारी	1- जिला अधिकारी
		2-जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्रों में सम्बन्धित पूर्ति नियोजक	10 दिन	2- जिलापूर्ति अधिकारी	2- जिला अधिकारी
		3- ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	10 दिन	3- खण्ड विकास अधिकारी	3- जिला अधिकारी
2	नवीन दो०पी०एल० राशन कार्ड जारी करना	1- जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में नगरीय सम्बन्धित पूर्ति नियोजक	10 दिन	1- जिलापूर्ति अधिकारी	1- जिला अधिकारी
		2-जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्रों में सम्बन्धित पूर्ति नियोजक	10 दिन	2-जिलापूर्ति अधिकारी	2- जिला अधिकारी
		3- ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	10 दिन	3- खण्ड विकास अधिकारी	3- अपर जिलाप्रियारी/ मुख्य विकास अधिकारी

**2-राजस्व विभाग :**

क्र. सं.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की नियत समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	प्रगाण पत्र 1. जाति प्रगाण पत्र	दहसीलदार	15 दिन	उप जिलाप्रियारी	जिला अधिकारी

90

12

8-शहरी विकास विभाग

क्र.सं.	सेवाएं	पदार्थित अधिकारी का पदनाम	रोदा प्रदान करने की नियमित समय-सीमा	प्रथम आपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय आपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
01	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (जन्म-मृत्यु, अस्पताल में होने पर एवं साक्ष्य हेतु चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर )	नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी / रजिस्ट्रार	07 दिन	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम	जिला अधिकारी
		नगरपालिका परिषद् के नगर स्वास्थ्य अधिकारी / रजिस्ट्रार/अधिशासी अधिकारी	07 दिन	नगर पालिका परिषद् हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
		नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	07 दिन	नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	
02	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (जन्म-मृत्यु अस्पताल के अलावा अन्य स्थान पर सूचना उपलब्ध होने पर )	नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी / रजिस्ट्रार	15 दिन	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम	जिला अधिकारी
		नगर पालिका परिषद् के नगर स्वास्थ्य अधिकारी / रजिस्ट्रार/अधिशासी अधिकारी	15 दिन	नगर पालिका परिषद् हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
		नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	15 दिन	नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
03	जन्म-मृत्यु का निकाय में पूर्व से पंजीकरण होने की दशा में जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र का निर्गमन	नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी / रजिस्ट्रार	03 दिन	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम	जिला अधिकारी
		नगर पालिका परिषद् के नगर स्वास्थ्य अधिकारी / रजिस्ट्रार / अधिशासी अधिकारी	03 दिन	नगर पालिका परिषद् हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
		नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	03 दिन	नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी

22  
80

04	सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्र, विद्याविदा (आयोद्धन पत्र निर्धारित प्रारूप पर एवं समस्त अधिकारीय साक्ष प्रस्तुत करने पर)	नगर निगम, के मुख्य नगर अधिकारी आधार उनके हारा नामित अधिकारी	60 दिन	मुख्य विकास अधिकारी,	जिला अधिकारी
		नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी,	60 दिन	नगर पालिका, परिषद्/ नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी हारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
05	सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्र विद्याविदा (आयोद्धन पत्र निर्धारित प्रारूप पर एवं समस्त अधिकारीय साक्ष प्रस्तुत करने पर)	नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी आधार उनके हारा नामित अधिकारी	90 दिन	मुख्य विकास अधिकारी,	जिला अधिकारी
		नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी,	90 दिन	नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी हारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
06	भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र	नगर निगम, के मुख्य नगर अधिकारी	30 दिन	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
		नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी,	30 दिन	नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी हारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
07	नगर निगम/ नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायतों हारा भवन मानचित्रों की स्थीकृति (केवल विकास प्राधिकरण /विनियमित क्षेत्र के कार्य क्षेत्र की परिधि के साहर के क्षेत्र)	नगर निगम, के मुख्य नगर अधिकारी	30 दिन	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
		नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी,	30 दिन	नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी हारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी

उत्तराखण्ड शासन  
सुराज, भृष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग  
संख्या—156/XLII(1)2018-20(04)16  
दहरादून दिनांक 03 अगस्त 2018

अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम सं0. 20 वर्ष 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0. 20 वर्ष 2011) की धारा—03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये साज्ज सरकार, जन सामान्य को नियत समय सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्ण निर्गत अधिसूचना सं0 1337/XXXI(13)/G/2011 दिनांक 28.04.2016, 368/XLII(1)16-20(04)16 दिनांक 28.04.2016, 598/XLII(1)16-20 (04)16 दिनांक 31.05.2016, 758/XLII(1)16-20 (04)16 दिनांक 14.06.2016 एवं 868/XLII(1)16-20(04)16 दिनांक 28.06.2016 एवं 146/XLII(1)1620 (04)16 दिनांक 25.06.2018 में अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदान्वित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय—सीमा प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम और द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पदनाम निम्नवत् अधिसूचित करती है अर्थात्—

शहरी विकास विभाग—

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	नामित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	सड़कों की सफाई	नगर आयुक्त नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी	07 दिन	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)	जिलाधिकारी
		अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/पंचायत	07 दिन	जिलाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी स्तर से अन्यन्य स्तर का अधिकारी	जिलाधिकारी
2.	स्ट्रीट लाईटों का रख-रखाव	नगर आयुक्त नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी	07 दिन	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)	जिलाधिकारी
		अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत	07 दिन	जिलाधिकारी द्वारा अधिकत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यन्य स्तर का अधिकारी	जिलाधिकारी
3.	विभिन्न व्यवसायों हेतु लाइसेंस				

अनुभाग

४

ड अधिनियम सं० २० वर्ष २०११)  
र. जन सामान्य को नियत समय  
बना सं० १३३७/XXXI(१३)/G/२०११  
५९८/XLIII(१)१६-२०(०४)१६ दिनांक  
३८/XLIII(१)१६-२०(०४)१६ दिनांक  
अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त<sup>इति</sup> अधिकारी का पदनाम, सेवाये  
और द्वितीय अपीलीय अधिकारी

मम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
----------------------	------------------------------

जिलाधिकारी सन)	जिलाधिकारी
-------------------	------------

अधिकारी द्वारा हुए उप अधिकारी स्तर न्यून स्तर का गाई	जिलाधिकारी
--	------------

जिलाधिकारी सन)	जिलाधिकारी
-------------------	------------

अधिकारी द्वारा हुए उप अधिकारी स्तर न्यून स्तर का गाई	जिलाधिकारी
--	------------

(क) होटल/ लाइंग लाइसेंस	नगर आयुक्त, नगर निगम अधिवा उनके नामित अधिकारी  अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत	30 दिन	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)	जिलाधिकारी	
(ख) केरी लाईसेंस उत्तराखण्ड नगरीय केरी व्यवसाय (आजीविका सुरक्षा तथा फेरी व्यवसाय (विनायक) नियमावली, 2016 के अनुसार	नगर आयुक्त, नगर निगम अधिवा उनके नामित अधिकारी  अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत	15 दिन	जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	जिलाधिकारी	
(ग) रिक्षा लाइसेंस	नगर आयुक्त नगर निगम अधिवा उनके नामित अधिकारी  अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत	15 दिन(यदि आवश्यकता हो तो पुलिस वेरिफ़िकेशन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत)	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)	जिलाधिकारी	
(घ) अन्य सभी व्यवसायिक लाइसेंस	नगर आयुक्त, नगर निगम अधिवा उनके नामित अधिकारी  अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत	30 दिन	जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	जिलाधिकारी	
4.	होटेल्स	नगर आयुक्त, नगर निगम अधिवा उनके नामित अधिकारी  अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत	30 दिन	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)	जिलाधिकारी
			30 दिन	जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	जिलाधिकारी

(45)

5.	स्थानीय निवाये के अन्तर्गत अन्ये बाल पाक, तथा कम्पूनेटों हाल वांग दृष्टिकोण	नगर आयुक्त नगर नियम अधिकारी नामित अधिकारी	15 दिन	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)	जिलाधिकारी
6.	नालों / नालों की सफाई	नगर आयुक्त, नगर नियम अधिकारी उनका नामित अधिकारी	07 दिन	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)	जिलाधिकारी
		अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् / नगर पंचायत	07 दिन	जिलाधिकारी द्वारा अधिकत लप्प जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	जिलाधिकारी

पर्यटन विभाग—

क्र. सं.	प्रदान की जाने वाली सेवा	नामित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
01.	रापिटग हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना	मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी	(तकनीकी समिति के निरीक्षण के पश्चात 45 दिन)	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अपीलीय अधिकारी
02.	अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना का पंजीकरण	जिला पर्यटन विकास अधिकारी	30 दिन	जिलाधिकारी	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
03.	उत्तराखण्ड पर्यटन यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014 यथा संशोधित 2016 के अन्तर्गत विभिन्न पर्यटन इकाईयों का पंजीकरण	जिला पर्यटन विकास अधिकारी	60 दिन	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

गृह विभाग—

क्र. सं.	प्रदान की जाने वाली सेवा	नामित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
01.	चरित्र सत्यापन (पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, सेना सत्यापन रिपोर्ट, निजी सत्यापन रिपोर्ट का निर्णय)	प्रभारी / थानाध्यक्ष	30 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीकारी / चरित्र पुलिस अधीकारी

02.	मार्क इमार प्रदर्शन
03.	हाई कोर्ट नाम सिप मिट
04.	पटा लिट प्रम पर 1. 2. 3. 4. ला
05.	अनि द्वार प्रम कर 1. क. 2.
06.	आ यार आ
07.	किसी नि
08.	शा घा
09.	गुर क
10.	अं क
11.	प ठि
12.	स ठि
13.	म व 3

जिलाधिकारी (न)	जिलाधिकारी
बड़ारी द्वारा कृत जम कर्कारी स्तर मूल स्तर का से	जिलाधिकारी
जिलाधिकारी (न)	जिलाधिकारी
कारी द्वारा उप कारी स्तर न स्तर का ने	जिलाधिकारी

अपीलीय धिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
र मुख्य धिकारी धेकारी	मुख्य कार्यकारी अपीलीय अधिकारी
धिकारी	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मुख्य किरी कारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पीलीय मारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
कारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

02.	योस्टमार्टन रिपोर्ट की प्रमाणित प्राप्ति और उन्होंने प्रासंगिक रिकार्ड प्रदान करने पर निर्णय	प्रभारी/थानाध्यक्ष	30 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
03.	शातिरुर्ग सावजनिक कार्य बैठक करने और नाच/जुलूस रथों की सिफारिश/अनुशासा पर निर्णय	प्रभारी/थानाध्यक्ष	07 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस-अधीक्षक
04.	पटाखों के लाइसेंस के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सिफारिश पर निर्णय 1. विनिमाण के लिए 2. भण्डारण के लिए 3. बेचने के लिए 4. अस्थायी विक्री के लिए	प्रभारी/थानाध्यक्ष/अग्निशमन अधिकारी	01-30 दिन 02-15 दिन 03-07 दिन 04-07 दिन	मुख्य अग्निशमन अधिकारी/क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
05.	अग्निशमन सेवाओं के द्वारा जनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर निर्णय। 1. सावजनिक सामाजिक कार्यों में आयोजन हेतु। 2. अन्य प्रयोजनों में हेतु।	प्रभारी/थानाध्यक्ष	15 दिन 30 दिन	मुख्य अग्निशमन अधिकारी/क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
06.	आग के कारण होने वाले तुकासान के अकिलन पर निर्णय	प्रभारी/थानाध्यक्ष/अग्निशमन अधिकारी	01 माह	मुख्य अग्निशमन अधिकारी/क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
07.	फिल्म शूटिंग के लिए सिफारिश/अनुमति पर निर्णय	प्रभारी/थानाध्यक्ष	07 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
08.	शात्र लाइसेंस के धारक के शात्र का ख्यानातरण	प्रभारी/थानाध्यक्ष	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
09.	गृमशुदारी की रिपोर्ट की प्रेसीकरण	प्रभारी/थानाध्यक्ष	तत्काल	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
10.	ऑनलाइन शिकायत पर कार्यवाही	प्रभारी/थानाध्यक्ष	30 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
11.	पटाखों की विक्री के लिए लाइसेंस	प्रभारी/थानाध्यक्ष/अग्निशमन अधिकारी	07 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
12.	सल्फर की विक्री के लिए लाइसेंस	प्रभारी/थानाध्यक्ष/अग्निशमन अधिकारी	07 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
13.	मनोरंजन गतिविधियों के लिए लाइसेंस अनुमति	प्रभारी/थानाध्यक्ष	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

संख्या-  
प्रतिलिं

14	किसायेदार का सत्यापन 1. प्रदेश के अन्दर 2. प्रदेश के बाहर	प्रभारी/थानाध्यक्ष	15 दिन 60 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
15	नौकर का सत्यापन 1. प्रदेश के अन्दर 2. प्रदेश के बाहर	प्रभारी/थानाध्यक्ष	15 दिन 60 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
16	दस्तावेज़ /मोबाइल आवि के खो जाने की रिपोर्ट	प्रभारी/थानाध्यक्ष	तत्काल	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
17	शस्त्र लाइसेंस छारा अपना निवास स्थान परिवर्तन करने की दरारा में लाइसेंस जारी करने वाले जनपद से दूसरे जनपद में शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण	प्रभारी/थानाध्यक्ष	30 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
18	जस्त्रों के विकल्प हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र	प्रभारी/थानाध्यक्ष	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
19	भवन की अग्नि सुरक्षा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	प्रभारी/थानाध्यक्ष /अग्निशमन अधिकारी	30 दिन	मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
20	विदेशी नागरिकों को पुलिस क्लोनरेस प्रमाण पत्र	निरीक्षक एल.आई.यू.	30 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
21	अनुसूचित अधिकार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना दायर हेतु प्रकरण प्रस्तुतिकरण	प्रभारी/थानाध्यक्ष	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
4. उक्त सेवाएं तत्काल प्रभाव से प्रभावी नामी जायेगी।

(राधा रत्नी)  
अपर मुख्य सचिव

क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
प्रोत्त्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
प्रोत्त्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
प्रोत्त्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
व्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
व्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
मुख्य निदान वेकारी/ गांधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
गांधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
प्रिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

संख्या-156 / सु0आ००७०८० / 18 / 20(04)2016 तद दिनांकित।  
 प्रतिलिपि:- 1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।  
 2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।  
 3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।  
 4. मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायू मण्डल, उत्तराखण्ड।  
 5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्यक विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।  
 6. समस्त विभागाध्याक्ष, उत्तराखण्ड।  
 7. सचिव सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।  
 8. समस्त, विभागाध्याक्ष, उत्तराखण्ड।  
 9. निदेशक राजकीय मुद्रणालय रुड़की का इस आशय से कि इसकी 500 प्रतियां मुद्रित कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
 10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एन०आ०१०८० देहरादून।  
 11. मीडिया सेन्टर  
 12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
(मिरी जारी)  
अनुसचिव

नर्यदिवस के रूप में की

गणना, पूर्णरूप से  
से से मानी जायेगी।

(राधा रत्नाली)  
अपर मुख्य सचिव

